न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2017

	अपीलान्ट	बनाम		रेस्पोडेन्ट :–
1	कुपाराम पुत्र वनाजी		1	राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही
2	प्रकाश पुत्र गणेशराम		2	जिला रसद अधिकारी सिरोही
3	मनीष पुत्र गणेशराम		3	उपखण्ड अधिकारी, सिरोही
4	भरत पुत्र गणेशराम रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 नाबालिग जरिये माता कमलादेवी पत्नी गणेशराम		4	प्रकाश पुत्र गणेशराम जाति कुम्हार निवासी बरलुट तहसील सिरोही
5	भावना पुत्री गणेशराम		5	समरथाराम पुत्र भूदाजी जाति कुम्हार निवासी बरलुट
6	कमलादेवी पत्नी गणेशराम		6	ताराराम पुत्र भगाजी
7	पोसाराम पुत्र भूदाजी		7	होसाराम पुत्र भगाती
8	मगाराम पुत्र रताजी जातिगण कुम्हार निवासीगण बरलुट		8	अमराराम पुत्र भगाजी जातिगण कुम्हार निवासीगण बरलुट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री शैतान खरोट, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 8
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31.8.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक 304 दिनांक 29.03.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा बरलुट के खसरा नम्बर 943, 944, 945 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 6.37 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 8 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के समीप ही खसरा नम्बर 1132 की भूमि आई हुई स्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

है, जिसमें से होते हुए अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 8 अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन करते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा खसरा नम्बर 1132 में से 0.48 हैक्टेयर की भूमि खाद्य भण्डारण हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन किया है। उक्त भूमि आवंटन करने से अपीलाण्ट के अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग ही अवरूद्ध हो गया है। इसके अतिरिक्त जैर अपील वादस्थ भूमि की किस्म गै0मु0 उण है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है। यदि जैर अपील आवंटन अपास्त नहीं किया गया, तो अपीलाण्ट के अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग ही अवरूद्ध हो जाएगा तथा अपीलाण्ट अपनी कृषि संक्रियाओं से महरूम हो जाऐंगे। अतः समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 8 ने अपीलाण्ट द्वारा प्रकट किए तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुए अपील माफिक अनुतोष स्वीकार कराने का निवेदन किया।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी भूमि दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि कि किस्म को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित होना बताया, जबकि उक्त भूमि आवंटन से प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण जांच कर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह रहा कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग के रूप में उपयोग में ली जा रही है। इस कारण आवंटन को अपास्त कराने का निवेदन किया। इसके अतिरिक्त आवंटन में कोई प्रकार की विधिक त्रुटी रही हो, ऐसा कोई आधार अपीलाण्ट द्वारा नहीं लिया गया है। अब जहां तक मार्ग अवरोधित करने का प्रश्न है, तो उस हेतु नियमों में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है। उन प्रावधानों की परिधी में आवंटन को परीक्षित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आवंटन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक 304

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

दिनांक 29.03.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही